

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,  
झॉसी / चित्रकूट मण्डल।
2. जिलाधिकारी,

झॉसी, नहोड़, उत्तर प्रदेश, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग-१०

लाखनऊ, उत्तर प्रदेश, १५.१६

विषय:- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की विषम स्थिति के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जनपदों विशेषकर बुन्देलखण्ड में सूखे की विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। शासन द्वारा सूखे की समस्या के निराकरण हेतु मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2015 को सम्बन्धित विभागों/मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण के साथ बैठक की गयी थी तत्पश्चात सभी सम्बन्धित विभागों, जिलाधिकारीगण को मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

1. बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवसों को 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. मनरेगा के अंतर्गत बड़े तालाबों की खुदाई वृहद स्तर पर कराये जाने के निर्देश दिये गये एवं यह भी निर्देश दिये गये कि मनरेगा के अंतर्गत धनराशि समय से जनपदों को उपलब्ध करायी जाय। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार से भी धनराशि उपलब्ध करायी जाय।
4. झॉसी मण्डल में 01 जनवरी, 2016 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो रहा है। अतः झॉसी मण्डल में अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। चित्रकूटधाम मण्डल में भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न एफ०एस०ए० रेट से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।
5. पशुओं का चारा उपलब्ध कराये जाने के लिए काम्पैक्ट फुड ब्लाक्स तैयार रखे जाने के निर्देश दिये गये एवं आवश्यकता होने पर किसानों को तत्काल मुहैया कराया जाय।
6. पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए खराब हैण्ड पम्पों को रिबोर/मरम्मत किये जाने एवं नये हैण्ड पम्प लगवाये जाने के निर्देश दिये गये।

मुन्देलखण्ड के सभी जनपदों को इसके अनुदान के बिना राहत नहीं मिल सकती।

३. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बदलाव पालन अनुत्तर उपर्योगों से ज़िम्मेदार हो रहा है अतः बदलाव पालन कार्यक्रम में पा हो लायी जाय।

४. खराब ट्रासफार्मर को अति शीघ्र बदला जाय एवं इसके लिए ट्रान्सफार्मर का बफर स्टाक बनाया जाय। विद्युत दोषों का तत्काल निवारण किया जाय। लो-बोल्टेज की समस्या का निराकरण किया जाय।

१०. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भूखमरी से मृत्यु न होने पावें। इसके लिए समस्त प्रकार की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। भूखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

११. बिंजार्ड एवं ऊर्जा विभाग के प्रदेश सचिव आधिकारी संगुकृत कृपये ०३ दिन दौड़े न-छलों के लिए दो लाख रुपये कर जिलाधिकारीयों से संभार्द्ध उत्तराधी दें। विंचार्ड एवं बिजली की समस्या के निराकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

१२. बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों को रु० २-२ करोड़ की धनराशि राहत मद में दे दी जाय।

१३. हैण्ड पाम्पों के रिबोर एवं मरम्मत की कार्यवाही युद्ध स्तर पर की जाय ताकि पीने की पानी की समस्या हल हो जाय।

२. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को सूखे की गम्भीर समस्या से निपटने हेतु राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न मदों यथा— भोजन, चारा एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि अनुदान हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की गयी है।

३. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटने हेतु ग्राम्यान आपूर्ति, बिजली, पेय जल की व्यवस्था, मनरेगा एवं पशुओं हेतु चारा आदि की उपलब्धता की स्थिति की सूचना शासन को प्रतिदिन सायं ०५.०० बजे तक राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स नम्बर—०५२२—२२३८०८४, २२३६३०५ एवं ईमेल—rahat@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( सुरेश चन्द्र )  
प्रमुख सचिव